

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प) कैम्प: जामियाना

-:आदेश:- 208

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जामियाना व भूअ.नि. जामाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पंचपट्टा नाथ तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जामियाना तहसील पंचपट्टा जिला बाड़मेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 181 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|----------|-------------|--------------------------------------|--|
| 01. | जामियाना | 181 | लखुराम लक शामाराम | लामुराम लक शामाराम |

(शागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,

दिनांक :- 11/5/18

क्रमांक :- 697-38

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मीनारिथ शर्मा)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प